poration Act, 1962, the Corporation provides financial assistance to State Government to plan and promote programmes, through cooperative societies for (a) the production processing, marketing, storage, export and import of agricultural produce, foodstuffs, poultry feed and notified commodities and (b) the collection, processing marketing, storage and export of minor forest produce.

(b) The present financial year has commenced very recently. Assistance given by the National Cooperative Development Corporation (NCDC) to various State Governments during the year 1981-82 is given in the Annexure.

मध्य प्रदेश में न्यूनतम आवश्यकता पर आधारित कार्यक्रम के अन्तर्गत गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ना

8370. **श्री दिलीप सिंह भूरिया :** क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने न्यूनतम आवश्यकता पर आधारित कार्यक्रम के अन्तर्गत 1500 से अधिक की जनसंख्या वाले गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ने का लक्ष्य रखा है, और क्या इस कार्य के लिए मध्य प्रदेश के लिए 175 करोड़ रुपये के योजना व्यय के स्थान पर 130 करोड़ रुपया मंजूर किया गया है और क्या यह धन राशि इतने बड़े और पिछड़े राज्य के लिए पर्याप्त हैं; और

(ख) क्या भारत सरकार मध्य प्रदेश, जो एक पिछड़ा राज्य है, सड़क संचार के मामले में इसकी मांग के अनुसार योजना आवंटन करने के प्रश्न पर विचार कर रही है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) और (ख). छठी योजना में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के ग्रामीण सड़कों के घटक के लिए निर्धारित मानदण्डों के अन्तर्गत 1500 से अधिक की जनसंख्या वाले सभी गांवों और 1000 से 1500 के बीच की जनसंख्या वाले 50 प्रतिशत गांवों का वर्ष 1990 तक सभी मौसमों में खुली रहने वाली सड़कों से जोड़ा जाना है । इस तरह कार्यक्रम के अन्तर्गत लाए जाने वाले गांवों के लगभग 50 प्रतिशत गांवों को वर्ष 1985 तक जोड़ा जाना है । राज्य सरकार के 142 करोड़ रुपये (न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण सड़कों के लिए 45 करोड़ रुपये सहित) के प्रस्ताव के मुकाबले में छठी योजना में मध्य प्रदेश के लिए राज्य क्षेत्र में सड़कों और पुलों के लिए 130 करोड़ रुपये (न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण सड़कों के लिए 40 करोड़ रुपये सहित) का परिव्यय अनुमोदित किया गया है । योजना आयोग का यह विचार है कि छठी योजना के निर्माण के समय 1979–80 के मूल्य स्तर पर न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत मध्य प्रदेश में ग्रामीण सड़कों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपलब्ध किया गया परिव्यय पर्याप्त था । तथापि, योजना के शीघ्र ही आरम्भ किये जाने वाले मध्यकालीन मूल्यांकन के दौरान आवश्यकताओं का पुनर्मूल्यांकन किया जाएगा ।

Villages connected with roads

8371. SHRIMATI VIDYA CHENNUPATI: Will the Minister of RURAL DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) how many villages in the country are connected with their neighbouring areas through roads;

(b) how many villages are still without roads; and

(c) what is the amount that Central Government are spending for the

expansion of roadways in villages during the Sixth Five Year Plan period?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRIES OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT (SHRI BALESHWAR RAM): (a) and (b). According to the provisional information received from States/UTs so far, 1,55,166 villages were connected by all-weather roads whereas 4,36,763 villages were without such roads in the country, as on 31st March, 1981.

(c) Construction of all-weather link roads under the Minimum Needs Programme is entirely in the State sector during the Sixth Plan period.

Employees of Town and Country Planning Organisation sent on deputation

8372. SHRI SATISH PRASAD SINGH:
SHRI D. M. PUTTE GOWDA:
SHRI R.L.P. VERMA:

Will the Minister of WORKS AND HOUSING be pleased to state:

(a) the present number of employees of the Town and Coutry Planning Organisation a subordinate office of his Ministry who were sent on deputation or are being sent on deputation to other Government offices;

(b) what are the criteria of selecting them and sending them on deputation to other Government offices;

(c) whether it is a fact that the Chief Planner of the organisation is sending the junior most employees by ignoring the senior most employees of the organisation;

(d) if so, whether Government propose to take any action in the matter; and

(e) if so, what?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND WORKS AND HOUSING (SHRI BHISHMA NARAIN SINGH): (a) 26 officers are on deputation and cases of 3 are under consideration.

(b) The requirements of the Organisation as well as the eligibility, qualification, experience and aptitude of the officers for a particular job or assignment are the criteria for selection.

(c) Officers are selected on deputation either when they apply in response to open advertisement or when they apply in response to circulars issued by other departments. Sometimes, the services of an officer are requisitioned specifically by borrowing authorities. The process of selection is according to the criteria stated at (b) and not specifically with reference to seniority.

(d) No, Sir, in view of the position stated in reply to part (c) above.

(e) Does not arise.

दिल्ली प्रशासन के कृषि (वन) विभाग के दैनिक मजूरी के श्रमिकों को नियमित करना

8373. **श्री दया राम शाक्य :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन के कृषि (वन) विभाग के दैनिक मजूरी के श्रमिकों की सेवायें नियमित करने का कोई प्रस्ताव दिल्ली प्रशासन के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो यह प्रस्ताव कब से विचाराधीन है और इस बारे में क्या प्रगति हुई है ; और

(ग) इस प्रस्ताव के कार्यान्वयन से कितने व्यक्तियों के लाभान्वित होने की संभावना है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी. हां ।